उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
आठवाँ तल शक्ति भवन मुख्यालय
अशोक मार्ग, लखनऊ– 226001

U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
(U.P. Govt. Undertaking)
8rd Floor Shakti Bhawan Lucknow
Ashok Marg, Lucknow- 226001

पत्रांक / मु०म०प्र०(वित्त)/ दिनाँक 31/07/2017

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

विषयः– जी०एस०टी० से सम्बन्धित दिशा–निर्देश

जैसा कि विदित है दिनांक 01.07.2017 से जी०एस०टी० लागू हो गया है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशानिर्देश अनुपालन हेतु जारी किये जाते है :–

1– जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन : उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० का मुख्यालय स्तर पर जी०एस०टी० नं० प्राप्त कर लिया गया है जो इस प्रकार है : **09AACU4749D2Z9**। मुख्यालय स्तर पर प्राप्त किये गये जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन का उपयोग इकाईयों/खण्डों द्वारा किया जाना है। इकाई स्तर से जी०एस०टी० से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाना है। ***यदि किसी इकाई द्वारा जी०एस०टी० में कोई भी अन्य रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है तो उसे तत्काल निरस्त कराते हुए जी०एस०टी० सैल को सूचित करें और उसको निरस्त कराने की प्रक्रिया आरम्भ करें।***

जी०एस०टी० के दायरे में आने वाले संव्यवहार :

(1)– विद्युत का क्रय/विक्रय (Power Purchase/Sale) : विद्युत का उत्पादन/ क्रय–विक्रय जी०एस०टी० में पूर्णतया कर–मुक्त (Exempted) है।

(2)– टेण्डर फार्म की बिक्री, स्क्रैप की बिक्री एवं निगम द्वारा अन्य पक्षों को दी जाने वाली सेवाएं :

टेण्डर फार्म की बिक्री पर वर्तमान में 18% जी०एस०टी० लिया जाएगा। निविदा प्रपत्र की बिक्री केवल जी०एस०टी० में रजिस्टर्ड फर्मों को ही किया जाना है। इसी प्रकार स्क्रैप की बिक्री एवं निगम द्वारा अन्य पक्षों को दी जाने वाली सेवाओं पर वर्तमान में 18% जी०एस०टी० लिया जायेगा। ज्ञात हो कि उ० प्र० में बिक्री/सेवाओं पर वसूले गये जी०एस०टी० में CGST(50%) एवं SGST (50%) की देयता होगी एवं उ० प्र० के बाहर बिक्री/सेवाओं पर IGST(100%) की देयता होगी।

(1)– वाहय एजेन्सियों से क्रय की जाने वाली सामग्री/प्राप्त की जाने वाली सेवाएं : समस्त संव्यवहार केवल जी०एस०टी० में रजिस्टर्ड फर्मों से ही किया जाना चाहिए। वाहय एजेन्सियों से क्रय की जाने वाली सामग्री एवं प्राप्त की जाने वाली सेवाएं निविदा के माध्यम ***से Exclusive of GST*** दर प्राप्त की जानी चाहिए।

(2)– स्थायी एवं अस्थायी अग्रदाय (PI/TI) : समस्त आहरण–वितरण अधिकारी PI/TI Holders को दिशानिर्देश जारी करेंगे तथा समस्त प्रकार के टी०ए०/टी०आइ०/पी०आइ० से सम्बन्धित वाउचर जी०एस०टी० एक्ट में निर्धारित इन्वाइस के अनुसार ही स्वीकार करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि जी०एस०टी० की देयता होगी तो उसका भुगतान बिल के साथ ही हो जायेगा, अन्यथा की स्थिति में जी०एस०टी० की देयता निगम की होगी।

CPM, Bagati
for n.a.
9/8/17

(3)– **Payment Voucher** : जी0एस0टी0 के RCM के अन्तर्गत किये गये भुगतानों (जिसमें अग्रिम भुगतान भी शामिल है) के लिए Payment Voucher बनाया जायेगा। Payment Voucher का प्रारूप Annexure-C में संलग्न है।

इकाईयाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि जारी किये जाने वाले Tax Invoice/Bill of Supply एवं Payment Voucher निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार क्रमांकित होंगे:–

- Tax Invoice- TI / (Location Code of Unit) / (Financial Year) / (Invoice Number)
- Bill of Supply- BS / (Location Code of Unit) / (Financial Year) / (Bill of Supply Number)
- Payment Voucher- PV / (Location Code of Unit) / (Financial Year) / (Payment Voucher Number)
- Serial number in case of payment voucher will be on the basis of same coding as under heading of Invoice.

Inter-Company Transactions: उत्पादन निगम लि0 की विभिन्न कम्पनियों (JVUNL,MEZA etc.) के मध्य होने वाले Inter-Company Transactions अब जी0एस0टी0 के दायरे में आएंगे। यदि एक कम्पनी दूसरी कम्पनी के लिए कोई कार्य करती है अथवा उसे कोई सामग्री भेजती है तो प्रदाता कम्पनी को प्राप्तकर्ता कम्पनी पर जी0एस0टी0 चार्ज करते हुए टैक्स इनवॉइस जारी करनी होगी। अतः यदि कोई भी Inter-Company Transactions किए जाते है तो उन ट्रान्जैक्शन पर लागू दर से प्रदाता कम्पनी द्वारा जी0एस0टी0 की देयता होगी। ज्ञात हो कि प्रदाता कम्पनी द्वारा चार्ज किया गया जी0एस0टी0 प्राप्तकर्ता कम्पनी के लिए इन्पुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा।

Rates of GST : जी0एस0टी0 के अन्तर्गत मुख्यतः 5 प्रकार की दरें निर्धारित की गयी हैं **0%, 5%, 12%, 18% एवं 28%।** सभी इकाईयों के आहरण–वितरण अधिकारी अपने स्तर पर प्राप्त होने वाले बीजकों में यह सुनिश्चित करेंगे कि उन पर उचित दर से जी0एस0टी0 लगाया गया हो। GST Rates की जानकारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है जहाँ से इसे सत्यापित/प्राप्त किया जा सकता है :

वस्तुओं हेतु:–http://www.cbec.gov.in/resourses//htdocs-cbec/gst/goods-rates-booklet-03July2017.pdf

सेवाओं हेतु:–http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/services-booklet-03July2017.pdf

कर का भुगतान : इकाईयों द्वारा क्रय–विक्रय (यथा टेण्डर फार्म एवं स्क्रैप की बिक्री, इन्टर कम्पनी ट्रान्जैक्शन एवं निगम द्वारा अन्य को दी गयी कर–योग्य सेवाओं इत्यादि) पर वसूला गया जी0एस0टी0 (टैक्स) एवं Reverse Charge में देय जी0एस0टी0 का भुगतान आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा निगम के जी0एस0टी0आई0एन0 पर प्रतिमाह सरकार के खाते में Net banking/RTGS/NEFT के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा। भुगतान के पश्चात चालान की एक प्रतिलिपि मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सैल को प्रेषित की जाएगी।

GST Return : जी0एस0टी0 से सम्बन्धित मासिक/वार्षिक रिटर्न मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सैल द्वारा निम्नलिखित अनुसार फाइल किये जायेंगे :

- Due date of furnishing earlier three months return are released by the GST council, Due date for first three months is attached hereunder:-

फार्म सं0	विवरण	अन्तिम तिथि
GSTR-1	बिक्री एवं दी जाने वाली सेवाओं का विवरण (Particulars of Outward Supply)	अगले माह की 10 तारीख तक
GSTR-2	क्रय एवं ली जाने वाली सेवाओं का विवरण (Particulars of Inward Supply)	अगले माह की 15 तारीख तक
GSTR-3	मासिक रिटर्न (Monthly Return)	अगले माह की 20 तारीख तक
GSTR-9	वार्षिक रिटर्न (Annual Return)	अगले वित्तीय वर्ष की 31 दिसम्बर तक

उपरोक्त रिटर्न फाइल करने के लिए प्रत्येक माह के अन्त में इकाई स्तर से **Inward/Outward Invoices** का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में अगले माह की 3 तारीख तक अनिवार्यतः मुख्यालय के जी0एस0टी0 सैल में प्रेषित किया जायेगा। निर्धारित प्रारूप कुछ समय पश्चात मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जाएंगे।

वर्तमान में सरकार ने नई टैक्स प्रणाली की जटिलताओं के दृष्टिगत दो महीने (जुलाई एवं अगस्त 2017) के लिए उक्त रिटर्न बाद में भरने की सुविधा प्रदान की है एवं उक्त 3 रिटर्न के स्थान पर एक अस्थायी रिटर्न भरना होगा। इस रिटर्न में निगम की महीने भर की क्रय–विक्रय आदि का विवरण संक्षेप मे Form GSTR-3B मे अगले माह की 20 तारीख तक जमा कराना है।

अतः इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि Form GSTR-3B भरने हेतु निर्धारित सूचनाए जो कि **Annexure-D** मे संलग्न है, **मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सैल में अगले माह की 10 तारीख तक प्रेषित करेंगे।**

ध्यान रहे Form GSTR-3B की व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था है जिसमें केवल जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 के माह में की गयी क्रय–विक्रय का संक्षेप में ब्यौरा देना है। जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 माह के सम्पूर्ण रिटर्न (Form GSTR-1, Form GSTR-2, Form GSTR-3) September माह में भरे जायेंगे। जिसकी अन्तिम तिथि नीचे दी गयी तालिका में है।

➢ The copy from 3B is attached. Kindly refer Annexure D for the same. Detail to be furnished by the branches to the HQ in the format as specified in form 3B

GST Return	**July**		Last Date to submit information by units to HQ
	Last date of Filing Earlier	Last date of Filing Now	
GSTR-1	10th August	5th September	20th August
GSTR-2	15th August	10th September	
GSTR-3	20th August	15th September	
GSTR-3B	NA	20th August	10th August
GST Return	**August**		
	Earlier	Now	
GSTR-1	10th September	20th September	5th September
GSTR-2	15th September	25th September	
GSTR-3	20th September	30th September	
GSTR-3B	NA	20th September	10th September
GST Return	**September**		

	Earlier	Now	
GSTR-1	10^{th} October	10^{th} October	3^{rd} October
GSTR-2	15^{th} October	15^{th} October	
GSTR-3	20^{th} October	20^{th} October	
GSTR-3B	NA	NA	NA

नियमित मासिक रिटर्न (Form GSTR-1, Form GSTR-2, Form GSTR-3) भरने के लिये इकाईयों द्वारा विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप वेबसाइट पर Excel Format में जल्द ही उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

Invoice/Debit Note/Credit Note :-

जी०एस०टी० नियमों के अनुसार कर–योग्य वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर Tax Invoice एवं कर–मुक्त वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर Bill of Supply खण्ड/इकाई के स्तर से जारी किया जाना है। Tax Invoice एवं Bill of Supply के प्रारूप Annexure-A में संलग्न है।

आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनको प्राप्त होने वाले समस्त बीजकों में सरकार द्वारा Tax Invoice के लिए निर्धारित सभी बिन्दु होने चाहिए। Tax Invoice में जो बिन्दु अनिवार्य हैं उनकी सूची Annexure-B में संलग्न है।

'As per invoice Rules, Serial number should be a consecutive serial number in one or multiple series, Hence a plan should be initiated from the Head office to provide a coding of all the branches to ensure serial number of invoices to be consecutively to number and to avoid usage of same serial number at multiple invoice. Kindly follow the plan for the same provided by Head Office and ensure only one serial number of invoice in use.' The coding will be mentioned hereunder:- Example.

Headquarter (Lucknow): HQ
TPS Anpara (A): AA
TPS Anpara (B): AB
TPS Anpara (D):AD
TPS Obra(A) :OA
TPS Obra(B) :OB
TPS Obra(C): OC
TPS Panki: PP
TPS Parichha 2X110: PA
TPS Parichha 2X210: PB
TPS Parichha 2X250: PC
Harduaganj (C) : HC
Harduaganj (D) : HD

Invoice एवं Bill of Supply से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का भी अनुपालन करना है –

a) Invoice जारी करने की समय–सीमा :–
   - वस्तुओं के विक्रय पर :– माल के हटाने पर या उससे पहले (Before or at the time of removal of goods)
   - सेवाओं के प्रदान पर :– सेवा समाप्ति के 30 दिन के अन्दर

b) वस्तुओं के विक्रय पर Invoice तीन प्रतिलिपि में जारी करना है :–

- Original प्रतिलिपि क्रेता के लिए
- Duplicate प्रतिलिपि माल वाहक (ट्रान्सपोर्टर) के लिए
- Triplicate प्रतिलिपि स्वयं के लिए (Office Copy)

c) सेवाओं के विक्रय पर Invoice दो प्रतिलिपि में जारी करना है :–

- Original प्रतिलिपि क्रेता के लिए
- Duplicate प्रतिलिपि स्वयं के लिए (Office Copy)

d) CGST Act के Section 33 के अनुसार Tax Invoice जारी करते समय Tax की राशि को पृथक करके दर्शाना आवश्यक है। अर्थात कोइ भी ***Invoice Inclusive of Tax*** नहीं बनाना है।

e) ज्ञात हो कि एक बार Tax Invoice जारी होने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए विक्रेता/सेवा प्रदाता को Credit Note अथवा Debit Note जारी करना होगा।

f) **Credit Note :-**

- ऐसी परिस्थितियां जहां वस्तु एवं सेवा की राशि अथवा Tax की राशि मे कटौती होनी है, उन परिस्थितियों में विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा क्रेडिट नोट क्रेता/सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किया जायेगा।
- उदाहरण के तौर पर विक्रेता द्वारा कम अथवा गलत माल भेजना, क्रेता द्वारा माल का वापस कर देना इत्यादि।
- क्रेडिट नोट जारी करने की समय–सीमा–
  - जिस वित्तीय वर्ष में Supply की गयी हो उसके अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर या
  - वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि

  मे से जो पहले हो, तब तक क्रेडिट नोट जारी किया जा सकता है।
- क्रेडिट नोट जिस माह में जारी किया गया है, उस माह के मासिक रिटर्न में क्रेडिट नोट का ब्योरा देना है।

g) **Debit Note :–**

- ऐसी परिस्थितियां जहां वस्तु एवं सेवा की राशि अथवा Tax की राशि मे बढ़ोत्तरी होनी है, उन परिस्थितियों में विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा डेबिट नोट क्रेता/सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किया जायेगा।
- डेबिट नोट जारी करने की कोई समय–सीमा नहीं है।
- डेबिट नोट जिस माह में जारी किया गया है, उस माह के मासिक रिटर्न में डेबिट नोट का ब्योरा देना है।
- अगर विक्रेता द्वारा क्रेता से देरी से भुगतान करने के कारण किसी प्रकार की Interest, Penalty अथवा Late Fees ली जाती है तो उस Interest, Penalty एवं Late Fees को कर–योग्य राशि में जोड़ा जायेगा एवं उस पर जी0एस0टी0 लागू एवं देय होगा। ऐसी दशा में विक्रेता द्वारा क्रेता को डेबिट नोट जारी किया जायेगा।

क्रेडिट नोट एवं डेबिट नोट के प्रारूप Annexure B.1 & B.2 में संलग्न है।

Time of Supply :-

CGST Act के Section 12 & 13 में Time of Supply के नियम दिये गये है, जिससे ये निर्धारित किया जा सकता है कि किसी Supply के सन्दर्भ में Tax किस माह मे जमा करना है एवं किस माह के रिटर्न में उस Supply को दर्शाना है। Time of Supply के नियम संक्षेप मे इस प्रकार है :–

Nature of Transaction	Event A	Event B	Event C	Time of Supply
Supply of Goods	Issue of tax invoice	Receipt of payment **(even advance payment received)**		Whichever is earlier
Tax on receipt of goods payable on reverse charge basis	Receipt of goods	Date of payment to recipient **(even advance payment made)**	30 days from date of invoice of supplier	Whichever is earlier
Supply of service	Invoice if issued within prescribed time (30 days)	Provision of service if Invoice not issued within prescribed time	Date of receipt of payment from recipient **(even advance payment received)**	Whichever is earlier
Tax on receipt of service payable under reverse charge	Date of payment to supplier of service	60 days from date of invoice of supplier		Whichever is earlier
Receipt of Interest, late fee or penalty for late payment [common provision for goods and services]	Issue of demand or debit note to recipient of goods or services	Receipt of payment from recipient of goods or services		Receipt of payment from recipient of goods or services

1. **Receipt Voucher & Refund Voucher :-**

   जैसा कि उक्त ''Time of Supply'' नियमों मे वर्णित है कि किसी वस्तु एवं सेवा की बिक्री के *सन्दर्भ मे ली जाने वाली अग्रिम राशि भी जी0एस0टी0 के दायरे मे आती है। अगर विक्रेता द्वारा कर–योग्य अथवा सेवा के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अग्रिम लिया जाता है, उस परिस्थिति में विक्रेता को "Receipt Voucher" जारी करना होगा।*

   अग्रिम लेने के पश्चात् अगर विक्रेता द्वारा कर–योग्य माल एवं सेवा Supply नहीं की जाती है एवं Tax Invoice जारी नहीं किया जाता उस दशा मे विक्रेता को "Refund Voucher" क्रेता को जारी करना होगा।

इकाईया सुनिश्चित करेंगे कि जारी किया जाने वाला Receipt Voucher & Refund Voucher क्रमवार क्रमांकित हो। Receipt Voucher & Refund Voucher का प्रारूप **Annexure C.1 एवं C.2** में संलग्न है।

<u>Reverse Charge Mechanism (RCM) :- Reverse Charge Mechanism (RCM)</u> : ज्ञात हो कि जी0एस0टी0 के अन्तर्गत मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर Reverse Charge Mechanism के अन्तर्गत जी0एस0टी0 की देयता निगम की होगी :

1– वकीलों को किया जाने वाला भुगतान

2– Goods Transport Agency को होने वाला भुगतान

3– अपंजीकृत विक्रेता/सेवा प्रदाता को होने वाले भुगतान

अतः जी0एस0टी0 के अन्तर्गत Work Contracts, Manpower Supply/Security Services, Cab सेवा इत्यादि पर RCM का प्रावधान लागू नहीं होगा।

निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन करना है :–

- सरकार एवं Local Authorities को भुगतान :–
  जी0एस0टी0 के Notification No. 13/2017-CT(Rate) दिनांक 28.01.2017 के अनुसार सरकार एवं Local Authorities द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं पर RCM के तहत कर जमा करने एवं रिटर्न दाखिल करने का दायित्व सेवा प्राप्तकर्ता पर होगा।
  ज्ञात हो कि *<u>RCM केवल सेवा के भुगतान पर लागू है</u>*। अर्थात सरकार एवं Local Authorities को किसी भी प्रकार का भुगतान Tax, Cess & Levy के रूप मे दिया जाता है, तो जी0एस0टी0 लागू नहीं होगा।
- RCM मे किये भुगतानों के लिये दो प्रकार के Documents बनेंगे :–
  (1) Purchase Voucher (2) Payment Voucher
  Purchase Voucher एवं Payment Voucher के प्रारूप Annexure D.1 एवं D.2 में संलग्न है।

2. **<u>Input Tax Credit (ITC) :-</u>**

CGST Act 2017 की धारा 16 के अनुसार किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई कर–योग्य खरीदारियों/सेवाओं (Taxable Input Supply) पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 इन्पुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा। Reverse Charge Mechanism के अन्तर्गत भुगतान किया गया जी0एस0टी0 एवं वस्तुओं/सेवाओं के आयात (Import of Goods and Services) पर भुगतान किया गया आई0जी0एस0टी0 भी इन्पुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा।

इस इन्पुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को कर–योग्य वाह्य आपूर्ति (Taxable Outward Supply) पर कर–देयता के विरूद्ध सैट–ऑफ किया जा सकेगा।

उपलब्ध इन्पुट टैक्स क्रेडिट निम्नलिखित 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा:–

a) <u>Credit directly attributable towards exempt supplies :-</u>

चूंकि निगम का मुख्य कार्य (बिजली– उत्पादन) जी0एस0टी0 से कर–मुक्त है इसीलिए वे खरीदारियां/सेवाएं जो विशेषकर बिजली उत्पादन, पारेषण, एवं वितरण से सम्बन्धित है, उन खरीदारियों/सेवाओं पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 आई0टी0सी0 के रूप में उपलब्ध नहीं होगा।

b) <u>Credit directly attributable towards taxable supplies :-</u>

निगम द्वारा की गयी खरीदारियाँ/सेवाएं जो कि विशेषकर कर–योग्य वाह्य आपूर्ति (Taxable Outward Supply) से सम्बन्धित है, उन खरीदारियों/सेवाओं पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 आई0टी0सी0 (ITC) के रूप में उपलब्ध होगा एवं कर–योग्य वाह्य आपूर्ति पर देय जी0एस0टी0 के विरूद्ध समायोजित किया जा सकता है।